20/10/20	पत्रावली शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर दिनांक 29.10.20 से तलब की जाकर आज पेशी पर ली गई। प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि के अन्य सह खातेदारों की उपस्थिति जिन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं रेकर्ड दुरुस्ती हेतु सहमती जाहिर की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जावे। हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	रेकर्ड दुरुस्ती हेतु सहमत हूँ रामस्वरूप ह. राजस्व	अ.नि. नगाराम अ.नि. पुनाराम अ.नि. अजाराम

L.i.J (मांगीलाल)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनॉक 20/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदारो की सयुक्त खातेदारी भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम भनलासरिया के खसरा सख्या 103 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा खसरा सख्या 104 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि आई हुई है उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायणराम की खातेदारी की थी जिनके देहान्त के पश्चात प्रार्थना पत्र के पद सख्या 02 में वर्णित वंशावली वंशवृक्ष के अनुसार दर्ज करनी चाहिए थी। जिसमें प्रार्थीगण के अलावा रामूराम व तुलछी थे जिसमें तुलछी का देहान्त दिनॉक 15.05.2019 को हो गया जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की । स्व श्री सोनाराम के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण सख्या 230 स्वीकार किया जाकर सोनाराम के वारिसान का नाम दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थीगण तथा रामूराम व तुलछी का नाम दर्ज किया गया। सोनाराम का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकार करने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में ईन्द्राज के समय राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश व भूलवश सोनाराम के पिता श्री नारायणराम का नाम यथावत रख दिया तथा प्रार्थी सख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में ईन्द्राज करने से रह गया। जबकि राजस्व कर्मचारी / अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की टिप्पणी दिनॉक 09.06.1992 में वर्णित अनुसार स्पष्ट है कि सोनाराम फौत होने पर माफिक कुर्सिनामा मिलान कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इसलिए प्रार्थीगण उक्त नारायणराम का हटाकर मगाराम का नाम नामान्तकरण सख्या सख्या 230 की

सहायक कलेक्टर, बोरुंदा

Scanned with CamScanner

पुश्त के अनुसार दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थीगण की माता तुलसी देवी का देहान्त हो गया। तो स्व श्री तुलसी देवी का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु उक्त खसरा की भूमि जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तब प्रार्थीगण को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से इस्तदुआ चाही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम भलासरिया में खसरा संख्या 103 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 104 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि में नामान्तरकरण संख्या 230 की पुश्त के अनुसार त्रुटिसुधार की जाकर नारायणराम का नाम हटाकर प्रार्थीगण संख्या 01 मगाराम पुत्र श्री सोनाराम का नाम ईन्द्राज किए जाने का वाछित आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थी/कैफाकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा यह स्वीकार किया गया खसरा संख्या 103 व 104 की भूमि में स्व श्री सोनाराम के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 230 स्वीकार किया गया तथा पुश्त पर स्व श्री सोनाराम का कुर्सीनामा बनाकर स्वीकार किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारियों के द्वारा त्रुटिहीना स्वीकार किया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि में स्व श्री सोनाराम के देहान्त के पश्चात फौतेदरी नामान्तरकरण संख्या 230 स्वीकार किया गया व उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर स्व श्री सोनाराम का कुर्सीनामा अंकित किया गया है जिसके अनुसार नामान्तरकरण का ईन्द्राज राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से नहीं किया गया। जो त्रुटि सुधार की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में स्व श्री सोनाराम की खातेदारी की भूमि थी तथा सोनाराम के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 230 स्वीकार किया गया जिसकी पुश्त पर स्व श्री सोनाराम का कुर्सीनामा अंकित किया गया है। इसी अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तस्दीक किया गया है। लेकिन सहवन से ईन्द्राज गलत किया गया हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है व तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम भलासरिया के खसरा संख्या 103 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 104 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि में नारायणराम के बजाय मगाराम दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में ईन्द्राज करने हेतु तहसीलदार तिवरी को आदेश जारी हो।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

आदेश आज दिनाँक 20/1/2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सरेईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

Scanned with CamScanner